

जिला शिक्षा पदाधिकारी का कार्यालय नालंदा (बिहारशरीफ)

पत्रांक. - SSA/1864

सेवा में

दिनांक 08-11-2018

अध्यक्ष / व्यवस्थापक / प्रबंधक

VIDYA JYOTI SCHOOL, BHATU BIGHA, EKANGARSARAI

विषय- बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली के नियम 11 के अधिनियम 5 के अन्तर्गत विद्यालय की प्रस्तीकृति नवीनीकरण का प्रमाण पत्र।

महाशय / महाशया,

आपके आवेदन—पत्र और उसके क्रम में आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेख के आलोक में आपके विद्यालय VIDYA JYOTI SCHOOL, BHATU BIGHA, EKANGARSARAI को कक्षा I से V/VIII कक्षा तक संचालन हेतु सत्र 2019–2020 तक के लिए औपबंधिक प्रस्तीकृति अवधि विस्तार की जाती है।

प्रदत्त प्रस्तीकृति निम्न—शर्तों के अनुपालन के अधीन होगी।

01. प्रस्तीकृति किसी भी परिस्थिति में कक्षा VIII तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।
02. विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 तथा बिहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली, 2010 का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेंगे।
03. विद्यालय अपनी कक्षा 1 में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पड़ोस के कमजोर एवं वंचित समुदाय के बच्चों का करेंगे तथा उन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेंगे, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्रारम्भिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्रारम्भिक कक्षा के लिए भी किया जाएगा।
04. कंडिका 3 में उद्धृत बच्चों के मामले में आपके विद्यालय को बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 2 के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी। प्रतिपूर्ति की जानेवाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक बता का संधारण करेंगे।
05. सोसाईटी/विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार का व्यक्तिगत अनुदान नहीं प्राप्त किया जाएगा तथा किसी भी बच्चा, उसके माता पिता या अभिभावक का परीक्षण नहीं किया जाएगा।
06. विद्यालय, किसी बच्चे के नामांकन लेने से उसके उप्र प्रमाण पत्र तथा धर्म, जाति, जन्म—स्थान आदि कारणों या इसमें से किसी एक कारण के अधार पर इनकार नहीं कर सकेगा।
07. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किए जाएंगे।
 - i. किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोकने अथवा उत्तीर्ण करने के संबंध में समय समय पर बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली में किये जाने वाले संशोधन एवं तदअनुरूप दिये गए निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।
 - ii. किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दंड नहीं दिया जायेगा तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा।
 - iii. किसी भी बच्चे को प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।
 - iv. प्रारम्भिक परीक्षा पूरी करनेवाला प्रत्येक बच्चा को नियम 22 के आलोक में प्रमाण—पत्र प्रदान किया जाएगा।
 - v. अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में दिव्यांग/निःशक्त/ विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समावेशन किया जायेगा।

- vi. शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा 23 की अवधारा में उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरूप किया जाएगा।
- vii. शिक्षक निजी-स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण-गतिविधि में संलग्न नहीं होंगे।
08. विद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्चा का अनुसरण करेगा।
09. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 के प्रावधानों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के अनुपालिक रूप से छात्रों का नामांकरण करेगा।
10. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में उद्घृत मानकों एवं मानदंडों को बरकरार रखेगा।
11. कोई भी अप्रस्वीकार्य कक्ष विद्यालय परिसर में या विद्यालय के बाहर, विद्यालय के नाम से संचालित नहीं होगा।
12. विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाएँ अथवा मैदान का उपयोग केवल शिक्षा तथा कौशल विकास के लिए होगा।
13. विद्यालय सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत निर्बंधित सोसाईटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होगा।
14. विद्यालय किसी व्यक्ति, समुह अथवा व्यक्तियों के संस्था अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं होगा।
15. लेखा का अंकेक्षण एवं उसका प्रमाणीकरण चार्टर्ड एकाउन्टेंट के द्वारा किया जाएगा और निर्धारित नियमों के आलोक में उपयुक्त लेखा विवरणी तैयार की जायेगी। प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, प्राइवेट एवं समग्र शिक्षा अभियान को भेजा जाएगी।
16. आपके विद्यालय को आवंटित प्रस्त्रीकृति कोड संख्या 20140160/2014 एवं यू-डायस कोड 10270608702 है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का पत्राचार करने में इस कोड को कृपया अनिवार्य रूप से अंकित एवं उद्घृत किया जाए।
17. विभाग के द्वारा समय-समय पर मॉग किए गए प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध कराई जाएंगी और राज्य सरकार के स्तर से प्रस्त्रीकृति की शर्तों के लागातार रूप से पूरा करने की सुनिश्चितता हेतु अथवा अनुदेशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जाएगा।
18. आपके विद्यालय का औपबंधिक अवधि विस्तार करने का निर्णय इस शर्त पर लिया गया कि अगर भविष्य में यह पाया जाता है कि विद्यालय द्वारा कोई गलत सूचना/अभिलेख दिया गया है, तो विद्यालयों की प्रस्त्रीकृति रद्द करते हुए उनके विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जायेगी।

विश्वासभाजन

.....
जिला शिक्षा पदाधिकारी,
नालन्दा।

ज्ञापांक— SSA/1864 / बिहारशरीफ दिनांक 08-11-2018
प्रतिलिपि— श्री बृजेश कुमार, वरीय उपसमाहर्ता, नालन्दा/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, शिक्षा विभाग, नालन्दा / एस०आई०एस०, प्रभारी, एस०एस०, नालन्दा/संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जिला—नालन्दा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

.....
जिला शिक्षा पदाधिकारी,
नालन्दा।

6

प्रपत्र-2

बिहार राज्य बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली, 2011

जिला शिक्षा पदाधिकारी का कार्यालय नालंदा (बिहारशरीफ)

पत्रांक. - SSA/299

दिनांक – 28.02.2019

सेवा में,

सभी संबंधित अध्यक्ष/व्यवस्थापक/प्रबंधक/निदेशक/प्राचार्य

विषय— दिनांक 08.11.2018 की 163 प्रस्वीकृत निजी विद्यालयों को दी गई नवीनीकरण की अवधि सत्र—2020-21 तक विस्तारित करने के संबंध में।

प्रसंगः— पत्रांक-SSA/1797 से पत्रांक-SSA/1959 के द्वारा नवीनीकृत 163 प्रस्वीकृत निजी विद्यालय।

महाशय/महाशया,

उपर्युक्त विषयक, दिनांक— 08.11.2018 के समिति की बैठक में 163 निजी विद्यालयों के प्रस्वीकृति नवीनीकरण सत्र 2019-20 तक दी गयी थी। निजी विद्यालयों के संगठनों द्वारा किए गए अनुरोध पर दिनांक— 21.02.2019 की समिति के बैठक में समीक्षोपरांत लिए गये निर्णय के आलोक में, उन विद्यालयों का प्रस्वीकृति/नवीनीकरण सत्र 2020-21 तक विस्तारित किया जाता है।

पूर्व में इस कार्यालय से निर्गत पत्रांक-SSA/1797 से पत्रांक-SSA/1959 में इस हद तक संशोधित समझा जाय तथा शेष शर्तें पूर्ववत् रहेगी।

विश्वासभाजन

जिला शिक्षा पदाधिकारी,
नालंदा।

ज्ञापांक— SSA/299, / बिहारशरीफ दिनांक – 28.02.2019

प्रतिलिपि— श्री बृजेश कुमार, वरीय उपसमाहर्ता, नालंदा/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, शिक्षा विभाग, नालंदा / एम०आई०एस०, प्रभारी, एस०एस०ए०, नालंदा/संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जिला-नालंदा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

*Additional
SSA, Nalanda*
88/2/19 D.P.C.
SSA, Nalanda

जिला शिक्षा पदाधिकारी,
नालंदा।